अनुसूची 14 फारम सं0 502।

अंचल अधिकारी का न्यायालय, गोमिया (बोकारो)।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

अनुप करमाली एवं अन्य
बनाम
बालेश्वर करमाली एवं अन्य

आदेश पत्रक ता0– 24/05/2025 से तक

जिला– बोकारो केश सं0– 13 / 2025–26

केश का प्रकार– विविध वाद

आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
24/05/2025	आवेदक 1. अनुप करमाली पिता घुजा कमार एवं 2. रविन्द्र करमाली पिता स्व0 प्रयाग करमाली, ग्राम– चिलगो, पंचायत– बड़की चिदरी, थाना– चतरोचट्‌टी, जिला– बोकारो के द्वारा एक आवेदन पत्र देकर सूचित किया गया है कि उनके पिता घुजा कमार एवं दादा श्रीनाथ कमार के नाम पर 155 डी0 जमीन है। उस जमीन पर उन दोनों का खेत लगभग तीस वर्षो के पहले से बना हुआ है। लगभग बीते 80 वर्षो से इस जमीन पर उन दोनों का दावा दखल और जोत–आबाद चलते आ रहा है। लेकिन पुनीत करमाली एवं बालेश्वर करमाली दोनों के पिता लाली करमाली, ग्राम– तिसकोपी, पंचायत– चतरचट्‌टी, जिला बोकारो के द्वारा 452 डी0 का हुकुमनामा पर्चा एवं उसी जमीन 400 डी0 का रसीद दिखाकर हमलोग को बेदखल करने के लिए झगड़ा–झण्झट कर रहे है। इसमें जान–माल की क्षति की संभावना है, स्थिति अत्यन्त ही गंभीर होने के कारण उन दोनों द्वारा लिखित सूचना थाना में दी गई है। इसके पूर्व में दोनों प्लॉट के जमीन विवाद में 107 में केश चल रहा है। प्रतिवादी द्वारा मना करने पर उन दोनों जमीन में खेती या निर्माण कार्य को बन्द रखा है। परन्तु बालेश्वर करमाली और पुनित करमाली उसी विवादित जमीन पर जोत रहा है, मना करने पर जान से मारने का धमकी दिया जाता है। इस जमीन में ग्राम पंचायत के द्वारा पाँच बार फैसला पंचो के द्वारा दिया गया है एवं जमीन जाँच पड़ताल किये है, लेकिन ये दोनों जबरन उनलोगों का कार्य बंद करके खुद दोनों कानून का उल्लंघन करते हुए जमीन जोत रहे है। अंत में उनके द्वारा प्रश्नगत जमीन का फैसला जबतक होता है तब तक दोनों पक्षों का विवादित जमीन पर खेती एवं निर्माण कार्य प्रतिबंध लगाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में विपक्षी को अपना पक्ष रखने के लिए सूचना निर्गत करें। साथ ही संबंधित थाना प्रभारी को भी इसकी सूचना दे। अभिलेख सुनवाई हेतु दिनांक– 11 / 06/2025 को रखें। 24-5-25 अंचल अधिकारी, गोमिया।	1048 notice 24/05/25 1050 I/c Chatrochatti Thana 24/05/25

11/06/25

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक की ओर से अर्जी दी गई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। विपक्षी की ओर लिखित जबाब दाखिल किया गया है। दोनो पक्षों को सुना गया। सुनवाई के क्रम ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत भूमि इन्हें (आवेदक) भू-दान यज्ञ कमिटी से प्राप्त हुआ है जिसका सत्यापन किया जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में भू-दान यज्ञ कमिटी से प्रतिवेदन की मांग की। तब तक उक्त भूमि पर दोनो पक्ष यथास्थिति बनाये रखेंगे। अभिलेख दिनांक – 25/6/25 को रखें।

11/6/25

अंचल अधिकारी
गांडेय।

11/6 12/06/25 I/c DSH Bhudan Yagya Off. Giridih

25/06/25

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक अनुपस्थित है। द्वितीय पक्ष से अर्जी है।
To 16/07/2025

25/6/25

अंचल अधिकारी
गांडेय।

क्रम तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
_/07/25	अभिलेख उपस्थापित। कार्यालय मंत्री, जिला भूदान कार्यालय गिरिडीह के पत्रांक - 64, दिनांक - 24/06/25 से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त है। विपक्षी की ओर से हाजिरी दी गई है। प्रथम पक्ष की ओर से हाजिरी के साथ एक आवेदन दाखिल किया गया है। अधोहस्ताक्षरी के अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण न्यायालय कार्य नहीं हो सका। To 06/08/25 (ह०) 1/7/25 अंचल अधिकारी गांडेयां।	
06/08/25	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई है। आवेदक की ओर से एक आवेदन पत्र दिया गया है। दोनों पक्षों को सुना गया। सुनवाई अभी जारी है। अभिलेख दिनांक - 25/08/25 को रखें। (ह०) 6/8/25 अंचल अधिकारी गांडेया।	
25/08/25	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई है। अधोहस्ताक्षरी के अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण न्यायालय कार्य नहीं हो सका। To 29/08/2025 (ह०) 25/8/25 अंचल अधिकारी गांडेया।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
29/08/2025	अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी की ओर से दाखिल की गई है। आवेदक अनुपस्थित है। अभिलेख का अवलोकन किया गया। इस वाद में प्रश्नगत भूमि को लेकर अनुमंडल पदा० बे/मो (तेनुघाट) को इस कार्यालय के पत्रांक - 1682, दिनांक - 14/08/2025 द्वारा BNSS की धारा - 163 के अन्तर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा भेजी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में इस वाद पर अधोहस्ताक्षरी के स्तर से किसी भी प्रकार की कार्रवाई करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इस वाद को तत्काल प्रभाव समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 29/8/25 अंचल अधिकारी गोमिया। 29/8/25 अंचल अधिकारी गोमिया।

C.C issued vide Sl. No.-169 dated - 09/09/2025

Digitally signed by Md Aftab Alam
Date: 2025.09.12 17:01:32 +05:30
Location: 10.184.43.139